प्रेषक,

**निदेशक,**
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा मे,

**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक – 423 /एम0–228/2017 (खनिज नीति V) दिनांकः 25 जून, 2020

**विषयः–उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीकरण व अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विसलांस सिस्टम के अन्तर्गत प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल **mining.up.work121.com** की व्यवस्था लागू की गयी थी। तकनीकी कारणों से उक्त पोर्टल के स्थान पर वर्तमान मे वाहनो के पंजीकरण हेतु विभागीय पोर्टल **updgm.in** को विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पोर्टल **mining.up.work121.com** पर पूर्व मे पंजीकृत वाहनों के पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नही होगी।

अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनो पर आर0एफ0आई0डी0 (यू0एच0एफ0) टैग लगाये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। टैग का कय **www.minetags.in** पोर्टल के माध्यम से आन लाइन भुगतान कर किया जा सकता है। आर0एफ0आई0डी0 टैग से सम्बन्धित समस्त जानकारी पोर्टल पर दिये गये हेल्पडेस्क नं0 8800191126 से प्राप्त की जा सकती है।

अतः अपेक्षा है कि ट्रॅास्पोर्टरों/परिवहनकर्ताओं को उक्त व्यवस्था से अवगत कराते हुए यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**(डा0 रोशन जैकब)**
निदेशक।

पत्रांक – 423 /एम0–228/2017 (खनिज नीति V) तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0।

**(डा0 रोशन जैकब)**
निदेशक।